मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग,
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफः 5/16/81/10–3, भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2002

प्रति,

1. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश,
2. समस्त क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।

विषयः वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण।

वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 147/99/10–3, दिनांक 12/1/2000 के द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि प्रत्येक जिलाध्यक्ष उत्खनन की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगे जो कि वन मण्डलाधिकारी वन भूमि न होने की दशा में ही जारी करेंगे।

2/ वन क्षेत्रो में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से यह पाया गया है कि भिन्न–भिन्न वन मण्डलों में वन मण्डलाधिकारी वन क्षेत्र से कुछ दूरी पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अतः एक रूपता लाने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(क) पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप जिलाध्यक्ष खदान की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी से खदान क्षेत्र मौका निरीक्षण के आधार पर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करेंगे।

(ख) यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वन क्षेत्र न होने के बाद भी वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है , उसी स्थिति में क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(ग) सामान्यतः वनक्षेत्र के बाहर वनक्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी तक कोई उत्खनन पटटा स्वीकृत नही किया जावेगा।

(घ) यदि प्रस्तावित खदान क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं होते हुए भी वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर के अन्दर हैं, तो जिलाध्यक्ष खनिज के महत्व एवं प्राकृतिक उपलब्धता को देखते हुए यदि यह महसूस करें कि उत्खनन पट्टा दिये जाने की आवश्यकता है तो ऐसे प्रकरणों पर विचार एक समिति द्वारा किया जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष
2. जिलाध्यक्ष
3. संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी

(च) यदि उपरोक्त पैरा (ध) मे गठित समिति उत्खनन पटटा की स्वीकृति की अनुशंसा करेगी तभी जिलाध्यक्ष द्वारा खदान की स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

(छ) यह आदेश पूर्व से स्वीकृत खदानों पर लागू नहीं होंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जावें।

(पी०पी० माथुर)
प्र[illegible], खनिज साधन

(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव, वन

पृ०क्रमांक एफ:5/16/81/10–3, भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2002

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
3 मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण / भू–प्रबंध
4 संचालक भौमिकि तथा खनिकर्मी, मध्य प्रदेश
5 समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव, वन

8/10/02

4032
7/10/02